न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
031/2015(रा.अ.)
(GCMS 2015/00058)
पूर्व प्रकरण संख्या
001/2008 (रा.अ.)

दायर दिनांक **30.07.2015**

निर्णय दिनांक **25.02.2025**

अनवान

श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नी भंवरलाल डांगी निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
2. भंवरलाल पिता मांगीलाल डांगी निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़। (**विलोपित 18.10.2016**)
3. पारसमल मुत0 भंवरलाल डांगी निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– चम्पालाल जाट — अपीलार्थी
मुकुट बिहारी दाधीच — विपक्षी संख्या 1
एक तरफा — विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना–पत्र बाबत् आर्बिट्रेशन प्रकरण संख्या (एडीएम/एल.ए./23/2005/चित्तौड़गढ़ बाईपास सक्षम प्राधिकारी (एन.एच.) एवं अपर कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ आदेश दिनांक 17.02.2007

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीया/अपीलार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **3G(5)** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (एन.एच.) एवं अपर कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 17.02.2007 को धारा (जी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के सेक्शन अजमेर से पिण्डवाडा पर फोरलेन एस.एस.कंट्रोल चित्तौड़गढ़ बाईपास का निर्माण करने के प्रयोजन से अवाप्ताधीन भूमि की अनुसूची सहित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 533(अ) दिनांक 27.04.2004 तथा 3 घ की अधिसूचना क्रमांक 1202(अ) दिनांक 29.10.2004 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीया एवं प्रकरण के विपक्षी संख्या 2 व 3 के संबंध में अवार्ड आदेश दिनांक 17.02.2007 पारित किया गया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थीया ने पारित एवार्ड आदेश के विरूद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन), चितौड़गढ़ से संबंधित पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.11.2008 से अवाप्ताधीन भू–भाग का मुआवजा निर्धारण किया गया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.11.2008 से असंतुष्ट होकर प्रार्थीया/अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवेदन अर्न्गत धारा 34 मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 प्रस्तुत किया गया। इस पर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या विविध सिविल प्रकरण संख्या 096/2009 में निर्णय दिनांक 15.07.2015 से प्रार्थीया/अपीलार्थीया के आवेदन अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.11.2008 को अपास्त करते हुए अवाप्तशुदा भूमि के एरिया (क्षेत्रफल) के संबंध में उठायी गई आपत्ति पर विचार करते हुए पुनः सम्यक रूप से निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे हस्तगत प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण जरिये सूचना–पत्र सूचित किया गया। दिनांक 27.10.2015 को विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 18.10.2016 से विपक्षी संख्या 2 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार गंगरार से अवाप्तशुदा भू–भाग के संबंध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। इस पर तहसीलदार गंगरार से पत्रांक/भू0अ0/2017/1601 दिनांक 22.08.2017 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। न्यायालय आदेश दिनांक 03.08.2021 से प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार गंगरार को आदेश दिये गये। इस पर तहसीलदार गंगरार से पत्रांक/राजस्व/2021/893 दिनांक 08.11.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रार्थीया/अपीलार्थीया की और से दिनांक 25.07.2023 से प्रार्थना–पत्र बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। न्यायालय आदेश दिनांक 29.08.2023 से प्रार्थीया का आवेदन खारीज किया गया। दिनांक 07.05.2024 को प्रार्थीया/अपीलार्थीया की और से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। न्यायालय आदेश दिनांक 15.05.2024 से प्रार्थीया/अपीलार्थीया का आवेदन खारीज किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम गंगरार का खसरा नम्बर 1962 वास्तविक भू–भाग एवं मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर है। अतिरिक्त मार्ग गंगरार गांव में जाने वाली सडक पर भी है। इस प्रकार से यह अतिरिक्त सुविधा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस भू–भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग से बना हुआ नहीं मानकर एक ही सम्पत्ति का अलग–अलग मुआवजा तय किया है जो कि पूर्णतया अवैध है। प्रार्थीया द्वारा समक्ष प्राधिकारी को प्रस्तुत अपने क्लेम में वास्तविक भू–भाग जो अवाप्त की जा रही है एवं नजरी नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया है का वास्तविक नाम 6283.5 वर्ग फीट है जबकि अवार्ड मात्र 4152 वर्गफीट का ही मुआावजा बनाया है। जबकि वास्तविक भूमि 6283.5 वर्गफीट ली जा रही है। 2131.5 वर्गफीट का कोई मुआवजा नहीं बनाया गया है। उक्त सम्पूर्ण भू–भाग 6283.5 वर्गफीट व्यवसायिक रूप से कार्य में लिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा रहा है जिसमें 4 दुकाने, गौदाम एवं बीच के खुले स्थान पर अनाज तुलाई बोरिया रखने एवं भरने हेतु कार्य में लिया जा रहा है। इस कारण उक्त सम्पूर्ण भू–भाग जिसकी मार्केट वैल्यू 320/– रूपये वर्गफीट से 2010720/– रूपये अक्षरे बीस लाख दस हजार सात सौ बीस रूपये मात्र भू–भाग की कीमत ही बनती है। जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध रूप से आवासीय दर से मुआवजा तय किया है। वह भी भिन्न–भिन्न दर से तय किया गया है। एक ही सम्पत्ति के दो मापदण्ड तय किये है जो पूर्णतया अवैध है। मार्केट वैल्यू व्यवसायिक दर से राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे होने से 320/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से प्रदान की जानी चाहिए।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस में अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अपर कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ की मूल पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वर्ण चुतुर्भज योजनान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 159.00 किमी (अजमेर पर 0 किमी.) से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 213.00 किमी (पिण्डवाडा पर 0 किमी) तक के सेक्शन पर चारलेन एस. एस.कंट्रोल चित्तौड़गढ़ बाईपास का निर्माण करने के प्रयोजन से अवाप्ताधीन भूमि की अनुसूची सहित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 533(अ) दिनांक 27.04.2004 तथा 3 घ की अधिसूचना क्रमांक 1202(अ) दिनांक 29.10.2004 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार गंगरार को लिखा जाकर सूची तैयार कराई गई जिसमें अवाप्ताधीन भूमि में स्थित भवन, मकान, दुकान, चारदीवारी अथवा खाली भूखण्डों एवं उनके स्वामित्व के बारे में जांच की जाकर प्राप्त की गई। उक्त क्रम में तहसीलदार गंगरार द्वारा पत्रांक/राजस्व/05/665 दिनांक 25.06.2005 से सर्वे पपत्र तथा रिपोर्ट्स एवं नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किये गये। जिसमें अपीलार्थीया के कब्जेशुदा अवाप्ति में आ रहे प्लॉट संख्या 19 किस्म आबादी अवाप्ति में आ रहा क्षेत्रफल 4125 वर्गफीट होना अवगत कराया गया है। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अपने–अपने क्लेम प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा पेश की गई लिखित आपत्तियों का निराकरण प्रार्थीगण को सुन कर रिकार्ड पर लेकर राजस्व अधिकारीयों तथा तहसीलदार गंगरार, से मौका रिपोर्ट मंगवा राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों राजस्व रेकार्ड में अंकन राजस्व अधिकारी की मौका रिपोर्ट मौका विवरण पत्र विधि सम्मत तरीके से अवलोकन कर अवार्ड पारित किया है, जो सही हैं। प्रार्थीया ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर तथ्य अंकित किये हैं। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों के लम्बित होने के कारण मुआवजा राशि के भुगतान में देरी के लिए पक्षकारान स्वयं जिम्मेदार है। विभिन्न न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से भा.रा.रा.प्रा. कतई उत्तरदायी नहीं है।

इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने बताया कि प्रार्थीया/अपीलार्थीया द्वारा वास्तविक भू–भाग 6283.5 वर्गफीट होना बताया गया है उक्त तथ्य पूर्णतया गलत आधारो पर आधारित है। सर्वे रिर्पोट (**1 R 60, 61, 63, 64, 65**) दिनांक 25.04.2007 में कुल अवाप्ती योग्य भमि 48 गुणा 86.5 कुल 4215 वर्गफीट भूमि होना अंकित किया गया है, जो कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की केन्द्रीय रेखा से 26 फीट की दूरी पर स्थित है। उक्त सर्वे रिपोर्ट पर विपक्षी संख्या 2 की उपस्थिति में तैयार की गई। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्लॉट संख्या 19 का क्षेत्रफल 6283.5 वर्गफीट है। इसके साथ ही जहां तक अपीलार्थीया द्वारा व्यवसायिक दर से मुआजवा प्राप्त करने का कथन किया गया है। इस संबंध में अवाप्ताधीन भूमि का की किस्म आबादी होने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुसार मुआवजा राशि की गणना की गई है जो कि विधि अनुसार सही है। प्रार्थीया/अपीलार्थीया नियमों उपनियमों के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया ने बताया कि वास्तविक भू–भाग का मूल्यांकन व्यवसायिक होने से व्यवसायिक की दर से तय किया जाकर उक्त भू–भाग पर निर्माण की कीमत वेल्यूवेशन रिपोर्ट के आधार पर तय की जाकर कुल कीमत पर सोलिशियम एवं विधि अनुसार प्रदान किये जाने योग्य होने तथा उक्त राशि पर दिनांक 12.03.2007 से ब्याज 12 प्रतिशत प्रार्थीया को भुगतान कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों एवं जवाब–उल–जवाब में उठाये गये तथ्यों का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पत्रावली पर गहनता पूर्वक चिंतन–मनन किये जाने उपरांत पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर(भूमि अर्जन) से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन/अवलोकन किया।

सक्षम प्राधिकारी (एन.एच.) एवं अपर कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 17.02.2007 को धारा (जी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के सेक्शन अजमेर से पिण्डवाडा पर फोरलेन एस.एस.कंट्रोल चित्तौड़गढ़ बाईपास का निर्माण करने के प्रयोजन से अवाप्ताधीन भूमि की अनुसूची सहित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 533(अ) दिनांक 27.04.2004 तथा 3 घ की अधिसूचना क्रमांक 1202(अ) दिनांक 29.10.2004 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त अवाप्ति की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अध्यधीन भूमि अवाप्ति अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क (3) के अधीन समाचार पत्रों प्रकाशित किया गया था, और आक्षेप आमंत्रित किये गये। जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद सुनवाई नियमानुसार निस्तारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ (1) के अनुसरण केन्द्रीय सरकार को अपनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिपोर्ट प्रेषित की। केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अधिनियम की धारा 3घ (1) के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाबद्ध अनुसूची में विर्निष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाने हेतु उक्त अधिसूचना भारत का राजपत्र में प्रकाशित गई है उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमियों के सभी खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति नोटिस प्राप्ति पर अपनी भूमि से संबंधित विवरण, उस पर स्थित परिसम्पतियों आदि के बारे में अपना क्लेम/दावा स्वयं अथवा अपने सभी अधिकृत एजेंट अथवा अपने द्वारा अधिकृत कानूनी सलाहकार/ अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरणों में तहसीलदार, गंगरार से भी मौका सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किये गये। प्रार्थीया को अवाप्ति में आने वाली भूमि के संबंध में अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र भी जारी किये गये हैं, तथा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवाप्तिधीन भूमि के मुआवजा निर्धारण के संबंध में अपना क्लेम प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थीया/अपीलार्थीया द्वारा अपने क्लेम आवेदन दिनांक 04.12.2004 के पैरा संख्या 2 में अंकित किया गया है कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य उक्त परिसर का क्षेत्रफल 12300 वर्गफीट है। जिस में से 9000 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही है। जिसमें 4 दुकाने एक गोदाम एवं अन्दर बीच का स्थान व्यापारिक उद्देश्य हेतु अर्थात अनाज, तुलाई बोरिया रखने खाद बीज तोलने एवं भरने हेतु काम में लिया जा रहा है। उक्त क्लेम आवेदन में प्रार्थीया/अपीलार्थी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के क्षेत्रफल 6283.5 वर्गफीट होना कही भी अंकित नहीं किया गया है, बल्कि अवाप्ताधीन क्षेत्रफल 9000 वर्गफीट होना अंकित किया गया है जो कि विरोधाभासी तथ्य है। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा उक्त आवेदन के पैरा संख्या 1 में सर्वे रिपोर्ट 1/आर/62 का अंकन किया गया है, इससे आशय है कि सर्वे रिपोर्ट के संबंध में प्रार्थीया को जानकारी रही है, कि सर्वे में अवाप्ताधीन भूमि का क्षेत्रफल 4215 वर्गफीट अंकित रहा है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ के निर्देशों के क्रम में न्यायालय हाजा द्वारा पुनः मौके की वास्तविक स्थिति बाबत् रिपोर्ट तलब की गई जो कि पत्रावली पर उपलब्ध होकर रिकार्ड पर है। जहां तक कोई निरीक्षण, सर्वे, मेजरमेन्ट, वेल्यूऐशन व इन्क्वायरी नहीं करने का प्रश्न है राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया। हमने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील में आराजीयात के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है। सक्षम प्राधिकारी अवार्ड का निर्धारण राजस्व रेकार्ड अनुसार किया जाना पाया जाता है। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण/संरचनाओं का मुआवजा कम देने/नहीं देने का प्रश्न है, राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच.ए. आई. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा डीएलसी दरों के संबंध में तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में तहसीलदार गंगरार द्वारा अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी को प्रचलित दर डीएलसी एवं डीएलसी कमेटी द्वारा अनुमोदन शुदा संबंधित ग्रामों की अनुमोदित सूची प्रेषित की गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में हम किता होकर उपलब्ध है। प्रार्थीया को उसकी भूमि की किस्म अनुसार निर्धारित दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना जारी अवार्ड आदेश से प्रतिवेदित होता है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन), चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत प्रकरण में जो अवार्ड जारी किया है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार ही जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवार्ड नियमानुसार जारी किया जाना प्रमाणित होना पाया गया है एवं प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किया जाना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण गुणावगुण पर बलहीन होना प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर जहॉ प्रार्थीया/अपीलार्थीया प्रकरण को गुणावगुण पर पूर्ण रूप साबित कराये जाने में असफल रहे है एवं प्रकरण गुणावगुण पर पूर्ण रूप साबित नहीं होने से सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन), चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत/अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में पारित अवार्ड विधि–सम्मत् होकर पारित अवार्ड आदेश में किसी प्रकार के वृद्धि–संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीया/अपीलार्थीया का आवेदन गुणावगुण पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति प्रेषित किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.02.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
माध्यस्थम् अधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official